न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ. मदन लाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता
   मैनेजर मैसर्सः—कमलेश कुमार एण्ड कम्पनी, मानगंज दौसा, निवासी वार्ड नम्बर 5 मानगंज दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस धारा 26 की उप धारा 2(II)एवं दंडनीय धारा 51
(एफएसएस रूल्स 2006 व 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः—30.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गूजर ने दिनांक 28.01.2023 को समय 01:01 **PM** पर पैन इण्डिया सर्वे में एनसीएमएल टीम द्वारा वर्ष 2022 में सर्वेलांस के तहत लिये गये गुड के नमूने के अमानक पाये जाने पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण के द्वारा उक्त फर्म से पुनः एक्ट के तहत नमूना लेने बाबत् निर्देशित करने पर मैसर्स कमलेश कुमार एण्ड कम्पनी, मानगंज दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्य नारायण गुप्ता मिला तथा पूछने पर श्री कमलेश कुमार गुप्ता ने स्वयं को मैसर्स कमलेश कुमार एण्ड कम्पनी, मानगंज दौसा का प्रबन्धक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा आवेदन पत्र दिखाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री कमलेश कुमार गुप्ता की उपस्थिति में मैसर्स कमलेश कुमार एण्ड कम्पनी, मानगंज दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थो के साथ 3 पेपर कार्टन में लगभग 27—27 किलोग्राम गुड खुला (**Jaggery Loose**) आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था जिसका निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री कमलेश कुमार गुप्ता को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये श्री कमलेश कुमार गुप्ता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री कमलेश कुमार गुप्ता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ गुड खुला (**Jaggery Loose**) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 3 पेपर कार्टन में से 1 कार्टन का चयन कर उसमें से 1.0 किलोग्राम गुड खुला (**Jaggery Loose**) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री कमलेश कुमार गुप्ता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 1.0 किलोग्राम गुड खुला (**Jaggery Loose**) के 34 रूपये/— अक्षरे चौतीस रूपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की तथा फिर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय किये गये 1.0 किलोग्राम गुड खुला (**Jaggery Loose**) को श्री कमलेश कुमार गुप्ता एवं गवाहान को दिखाकर 250—250 ग्राम साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में इलेक्ट्रानिक मापक मशीन से तुलवाकर भरकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने की दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG**—3161 अंकित किया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:06 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **AG**–3161 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री कमलेश कुमार गुप्ता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री कमलेश कुमार गुप्ता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ सैनी कर्मचारी कार्यालय **CM&HO** दौसा को भेजकर दिनांक 30.01.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाल अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 30.01.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /85/एक्ट/2023/107 दिनांक 07.02.2023 प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता श्री कमलेश कुमार गुप्ता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ गुड खुला (**Jaggery Loose**) का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(**ZX**) का उल्लंघन होने के कारण अमानक (**Substandard**) स्तर का पाया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा **2 (II)** का उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ अमानक (**Substandard**) स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./85/एक्ट/2023/107 दिनांक 07.02.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ गुड खुला (**Jaggery Loose**) के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Moisture Contents % By Weight 8.19 %** पाया गया है जो कि अधिकतम 7.00 % होना चाहिये था। उक्त नमूने में **Total Sugars** की मात्रा कम से कम 90.0 % होनी चाहिये थी जो कि 8[illegible] % पाई गई है। खाद्य पदार्थ गुड खुला (**Jaggery Loose**) के नमूने में **Moisture Contents % By Weight** तय मानको से अधिक एवं **Total Sugars** की मात्रा तय मानकों से कम पाये जाने से खाद्य पदार्थ गुड खुला (**Jaggery Loose**) का नमूना अमानक (**Substandard**) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (**Substandard**) स्तर के खाद्य पदार्थ गुड खुला (**Jaggery Loose**) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:06 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार प्रार्थी द्वारा पशुओं को खाने के लिये गुड थोक में खरीदा जाता है तथा जैसा खरीदा जाता है वैसा ही बेचा जाता है। हमारे द्वारा इसमें कोई भी छेड–छाड नहीं की जाती है। फिर भी यदि कोई कमी रह गई है तो इसका भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। यह माल **Bill No.** 635 फर्म राधा ट्रेडिंग कम्पनी बरखान रोड, नवाबगंज बरेली उत्तर प्रदेश से खरीदा गया है। बिल की प्रति संलग्न कर दी गई है। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./85/एक्ट/2023/107 दिनांक 07.02.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गुड खुला (**Jaggery Loose**) का नमूना अमानक (**Substandard**) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (**Substandard**) स्तर के खाद्य पदार्थ (**Jaggery Loose**) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (**Substandard**) स्तर के खाद्य पदार्थ गुड खुला (**Jaggery Loose**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता मैनेजर मैसर्स कमलेश कुमार एण्ड कम्पनी, मानगंज दौसा निवासी वार्ड नम्बर 5 मानगंज दौसा पर 5,00,000/–(अक्षरे पांच लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 30.12.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक FSSA/ 2024/ दिनांकः– 30.12.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता
   मैनेजर मैसर्सः–कमलेश कुमार एण्ड कम्पनी, मानगंज दौसा, निवासी वार्ड नम्बर 5 मानगंज दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:06 IST
Reason: SelfAttested